

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 911/2024

Vikash

.....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

.....Respondent(s)

**INDEX**

Sr. no	Particulars	Page no.
01	<b>Rejoinder With Affidavit</b>	1-24
02	Copy of the Letter No. 476/20-Sh.Li./Petroleum/N.O.C.-2024 dated 28.06.2024. <i>Annexure No.-1</i>	25
03	Copy of the relevant Page No. 44 of the master plan 2001 <i>Annexure No.-2</i>	26
04	Copy of the relevant Page No. 45 of the master plan 2001 <i>(Annexure No.-3</i>	27
05	Copy of the relevant Page No. 7 of the master plan 2021 <i>(Annexure No.-4</i>	28
06	Copy of the relevant Page No. 62 of the master plan 2021 <i>(Annexure No.-5</i>	29
07	Photographs of illegal construction	30-34

दिनांक 20.01.2026

प्रार्थी/आवेदनकर्ता



(विकास)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 911/2024

Vikash

.....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

.....Respondent(s)

**Rejoinder to the Replies filed by Respondent Nos. 3, 7,8 & 9 and in  
respect of I.A. No. 414 of 2025**

श्रीमान् जी,

विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि उपर्युक्त प्रकरण में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए थे। उक्त नोटिस के अनुक्रम में प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत जबाब/उत्तर जानबूझकर तथ्यों को छिपाते हुए, भ्रामक, अधूरा तथा वास्तविक स्थिति से परे प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आवेदक प्रतिवादियों के नोटिस-जवाब के विरुद्ध इस रिजॉइंडर (अंग्रेजी अनुवाद सहित) के माध्यम से आवेदक विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित कथन प्रस्तुत कर रहा है:-

It is most respectfully submitted that in the above-mentioned matter, the Hon'ble Tribunal had issued notices to the respondents. In pursuance of the said notices, the replies/answers submitted by the respondents have been deliberately filed by suppressing material facts and are misleading, incomplete, and beyond the actual factual position. On the basis of these facts and the available evidence, the Applicant, through this **Rejoinder (along with English translation)**, most respectfully submits the following statements in response to the replies filed by the respondents to the notices:-

1. यह कि उक्त मूल आवेदन के माध्यम से आवेदक द्वारा यह तथ्य स्पष्ट रूप से अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया गया है कि मौजा पिछोर/पिछौर, तहसील एवं जिला झांसी की आराजी संख्याएँ 11, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 75 एवं 79 झांसी महायोजना-2021 में नगर पार्क/खुले क्षेत्र के रूप में आरक्षित हैं, तथा आराजी संख्या 17 राजस्व अभिलेखों में नाला के रूप में अंकित हैं, जिन पर किसी भी प्रकार का आवासीय अथवा व्यावसायिक निर्माण विधि अनुसार पूर्णतः निषिद्ध है। इसके बावजूद उक्त आराजियों को आवासीय दर्शाकर, पर्यावरणीय नियमों एवं भूमि उपयोग प्रावधानों की अवहेलना करते हुए, उत्तरदाता झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त भूमि को आवासीय भूखण्डों के रूप से विक्रय कर अवैध निर्माण किये जा रहे हैं।


1. That through the aforesaid Original Application, the Applicant has clearly established on record, along with documentary evidence, that Arazi Nos. 11,

12, 15, 21, 22, 23, 24, 75 and 79 situated in Mauja Pichhor/Pichaur, Tehsil and District Jhansi, are reserved as **Nagar Park/Open Spaces** under the Jhansi Master Plan-2021, and that Arazi No. 17 is recorded as a **drain (Nala)** in the revenue records, upon which any kind of residential or commercial construction is completely prohibited under law. Despite this, the said lands are being falsely shown as residential, and in blatant violation of environmental norms and land-use provisions, the said land is being sold as residential plots and illegal constructions are being raised thereon in collusion with the officers of the Jhansi Development Authority.



2. यह कि उक्त नाला (आराजी संख्या-17) की भूमि को पाटकर उस पर अवैध निर्माण कर लिया गया है, जिसके कारण पिछौर क्षेत्र में होने वाली वर्षा का वह जल, जो पूर्व में उक्त नाले के माध्यम से गढ़मऊ झील में जाता था, अब गढ़मऊ झील तक नहीं पहुँच पा रहा है। नाले पर अतिक्रमण किए जाने के बाद पिछौर क्षेत्र का वर्षा जल सड़क पर इधर-उधर बहकर व्यर्थ नष्ट हो रहा है, जिससे क्षेत्र में जल प्रबंधन एवं पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिसे नीचे फोटोग्राफ में देखाया गया है। जो वारिश के दौरान निकाली गई थी।

2. That the land of the said drain (Arazi No. 17) has been filled up and illegal construction has been carried out thereon, as a result of which the rainwater of the Pichaur area, which earlier used to flow into Garhmao Lake through the said drain, is no longer able to reach Garhmao Lake. After encroachment upon the drain, the rainwater of the Pichaur area is flowing here and there on the road and is being wasted, thereby causing an adverse impact on water management and environmental balance in the area. The same is shown in the photographs given below, which were taken during the rainy season.



3. यह कि उक्त अवैध भूखण्डों पर अनधिकृत निर्माण कराकर “ग्रीन वैली” नामक एक अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है तथा आराजी संख्या-23, जो कि झाँसी महायोजना-2021 के अंतर्गत नगर पार्क/खुले क्षेत्र का अभिन्न भाग है, पर नियमों के सर्वथा विपरीत पेट्रोल पम्प स्थापित किए जाने की सुनियोजित साजिश की जा रही है। इस तथ्य का स्पष्ट खुलासा प्रतिवादी संख्या-7 द्वारा पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु एन.ओ.सी. जारी किए जाने के संबंध में की गई कार्यवाही से होता है, जो पत्रांक सं. 476/20-श.लि./पेट्रोलियम/एन.ओ.सी.-2024 दिनांक 28.06.2024 के रूप में अभिलेख पर उपलब्ध है। (अनुलग्नक सं.-1)

3. That unauthorized construction is being carried out on the said illegal plots and an illegal colony named “Green Valley” is being developed, and further, a well-planned conspiracy is being hatched to establish a petrol pump in complete violation of the rules on Arazi No. 23, which is an integral part of the Nagar Park/Open Space under the Jhansi Master Plan-2021. This fact is clearly revealed from the action taken by Respondent No. 7 in relation to issuance of N.O.C. for establishment of the petrol pump, which is available on record vide Letter No. 476/20-Sh.Li./Petroleum/N.O.C.-2024 dated 28.06.2024. (Annexure No.-1)

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 3, 7, 8, और 9 के सभी उत्तरों का आवेदक खंडन करता है क्योंकि ये उत्तर असत्य, भ्रामक, अपूर्ण एवं तथ्यों के विपरीत हैं। उक्त उत्तरों का उद्देश्य न्यायाधिकरण को गुमराह कर नगर पार्क और नाले की भूमि के अवैध निर्माणों को बचाना है।

4. That the Applicant denies all the replies filed by Respondent Nos. 3, 7, 8 and 9, as the same are false, misleading, incomplete and contrary to facts. The purpose of the said replies is to mislead the Hon'ble Tribunal and to protect the illegal constructions raised over the land of the Nagar Park and the drain.

### **Rejoinder of the Applicant to the Reply filed by Respondent No. 8**

5. यह कि उत्तरदाता संख्या 8 झांसी विकास प्राधिकरण ने अपने उत्तर में यह कहा है कि मौजा पिछौर, झांसी की आराजी संख्याएँ 11, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 75 एवं 79 झांसी मास्टर प्लान-2021 में “आवासीय” हैं। यह कथन पूर्णतः असत्य है। जब कि वास्तविकता यह है कि उक्त आराजियत की भूमि महायोजना एवं शासकीय अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोगिता हेतु नगर पार्क, नाला, एवं रास्ता के रूप में अंकित है।

5. That Respondent No. 8, namely the Jhansi Development Authority, has stated in its reply that Arazi Nos. 11, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 75 and 79 situated at Mauza Pichhor, Jhansi, are shown as “Residential” in the Jhansi Master Plan–2021. The said assertion is wholly false and incorrect. In fact, the true and correct position is that the said parcels of land are recorded in the Master Plan as well as in the official government records as meant for public utility purposes, namely Municipal Park, Drain (Nala), and Road/Pathway, and not for any residential use.

6. यह कि उत्तरदाता संख्या-8, झांसी विकास प्राधिकरण ने अपने उत्तर के साथ संलग्न पत्र संख्या 2249/जे.डी.ए./ (2024-25) दिनांक 25.10.2024 (अभिलेख संख्या-140) में स्वयं यह स्वीकार किया है कि मौजा पिछौर, तहसील एवं जिला झांसी की साजरा शीट के अनुसार आराजी संख्या-11, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 75 एवं 79 का भू-उपयोग “नगर पार्क एवं प्रस्तावित 24 मीटर चौड़ा मार्ग” है। जो आवेदक द्वारा लगाए गए सही आरोपों की पुष्टि करता है।

6. That Respondent No. 8, Jhansi Development Authority, in its reply, has itself admitted vide Letter No. 2249/JDA/(2024–25) dated 25.10.2024 (Document No. 140) annexed therewith, that as per the Sajra Sheet of Mauja Pichhor, Tehsil and District Jhansi, the land use of Arazi Nos. 11, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 75 and 79 is “Nagar Park and proposed 24-meter wide road,” which confirms the correct allegations made by the Applicant.

7. यह कि इसके विपरीत, उत्तरदाता संख्या-8 द्वारा अपने उत्तर में यह कथन किया जाना कि महायोजना-2021 के मानचित्र के अनुसार उक्त आराजियों का भू-उपयोग “आवासीय” है, न

केवल उक्त पत्र (अभिलेख संख्या-140) से प्रत्यक्षतः विरोधाभासी है, बल्कि यह दर्शाता है कि उत्तरदाता संख्या-8 स्वयं अपने अभिलेखों के प्रति असंगत एवं भ्रामक रुख अपना रहा है।

7. Contrary to this, the statement made by Respondent No. 8 in their reply that, according to the Master Plan–2021 map, the land use of the said plots is 'residential', is not only directly contradictory to the aforementioned letter (Record No. 140), but also indicates that Respondent No. 8 himself is taking an inconsistent and misleading stance with respect to his own records.

8. यह कि साजरा शीट एवं खतौनी जैसे मूल राजस्व अभिलेख किसी भी भूमि के वास्तविक स्वरूप एवं सार्वजनिक प्रयोजन को निर्धारित करने वाले प्राथमिक एवं प्रामाणिक अभिलेख होते हैं, जिनमें उक्त भूमि का नगर पार्क, नाला एवं मार्ग के रूप में अंकित होना यह सिद्ध करता है कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का आवासीय अथवा व्यावसायिक निर्माण विधि विरुद्ध है।

8. That the original revenue records, such as the Saajara Sheet and Khatauni, are the primary and authentic documents which determine the actual nature and public purpose of any land, and the fact that the said land is recorded therein as a city park, drain, and road proves that any kind of residential or commercial construction on such land would be contrary to law.

9. यह कि आवेदक द्वारा जिस नगर पार्क का उल्लेख किया गया है, झांसी महायोजना 2001 एवं 2021 में उक्त नगर पार्क का कुल क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से 198.38 हेक्टेयर (लगभग 490 एकड़) अंकित किया गया है।

9. That the city park referred to by the Applicant is clearly recorded in the Jhansi Master Plans of 2001 and 2021 as having a total area of 198.38 hectares (approximately 490 acres)."

10. यह कि महायोजना-2001 के पृष्ठ संख्या-44, प्रस्तर 2.3.5 (सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं) तथा पृष्ठ संख्या-45 के पैरा-2.3.5.1 में उक्त नगर पार्क का कुल क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से 198.38 हेक्टेयर (लगभग 490 एकड़) अंकित है, जिससे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि उक्त भूमि प्रारम्भ से ही सार्वजनिक उपयोग हेतु नगर पार्क के रूप में आरक्षित रही है। (अनुलग्नक सं.-2-3)

10. That on page 44, Clause 2.3.5 (Public and Semi-Public Facilities), and on page 45, Paragraph 2.3.5.1 of the Master Plan–2001, the total area of the said city park is clearly recorded as 198.38 hectares (approximately 490 acres), which conclusively proves that the said land has been reserved as a city park for public use from the outset. (*Annexure No.-2-3*)

11. यह कि झांसी महायोजना-2021 के पृष्ठ संख्या-7, प्रस्तर-5.5 (पार्क एवं क्रीड़ा स्थल, खुले एवं मनोरंजन सुविधाएं) के पैरा-5.5.1 में भी उपरोक्त नगर पार्क का क्षेत्रफल यथावत 198.38 हेक्टेयर ही दर्शाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि महायोजना-2021 में भी नगर पार्क के

कुल क्षेत्रफल में किसी प्रकार की वैध कटौती अथवा परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (अनुलग्नक सं.-4)

11. That in the Jhansi Master Plan-2021, on page 7, Clause 5.5 (Parks and Playgrounds, Open and Recreational Facilities), Paragraph 5.5.1 also shows the area of the said city park as unchanged at 198.38 hectares, which clearly indicates that the Master Plan-2021 contains no provision for any lawful reduction or alteration of the total area of the city park. (*Annexure No.-4*)

12. यह कि झांसी महायोजना-2021 के पृष्ठ संख्या-62, प्रस्तर-2.10.6 (पार्क एवं खुले स्थल), प्रस्तर-6.1 (नीति निर्धारण) के पैरा-1 में यह स्पष्ट नीति निर्धारित की गई है कि “लक्ष्मीताल के निकट स्थित खाली क्षेत्र को पूर्व की भांति सिटी पार्क के रूप में यथावत महायोजना-2021 में प्रस्तावित किया जाए”, जिससे यह सिद्ध होता है कि लक्ष्मीताल एवं उससे संबद्ध नगर पार्क क्षेत्र को संरक्षित रखना स्वयं महायोजना-2021 की घोषित नीति है। (अनुलग्नक सं.-5)

12. That in the Jhansi Master Plan-2021, on page 62, Clause 2.10.6 (Parks and Open Spaces) and Clause 6.1 (Policy Formulation), Paragraph 1, it is clearly stated as a policy that 'the vacant area near Lakshmital shall continue to be proposed as a city park in the Master Plan-2021 as before,' which establishes that the preservation of Lakshmital and its adjoining city park area is itself a declared policy of the Master Plan-2021. (*Annexure No.-5*)

13. यह कि उपर्युक्त महायोजना-2001 एवं महायोजना-2021 के प्रावधानों का संयुक्त अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि नगर पार्क का कुल क्षेत्रफल 198.38 हेक्टेयर यथावत बनाए रखना अनिवार्य था, अतः इसके विपरीत किसी भी भूमि को आवासीय दर्शाया जाना, या पार्क/खुले क्षेत्र के रकबे को घटाया जाना, न केवल महायोजना की घोषित नीति के प्रतिकूल है बल्कि नियोजन कानूनों, पर्यावरणीय सिद्धांतों एवं सार्वजनिक न्यास सिद्धांत (Public Trust Doctrine) का भी घोर उल्लंघन है।

13. That a combined study of the provisions of the aforementioned Master Plan-2001 and Master Plan-2021 makes it clear that maintaining the total area of the city park at 198.38 hectares was mandatory; therefore, depicting any part of this land as residential, or reducing the area of the park/open space, is not only contrary to the declared policy of the Master Plan but also constitutes a grave violation of planning laws, environmental principles, and the Public Trust Doctrine.

14. यह कि इस प्रकार नगर पार्क के क्षेत्रफल को अभिलेखों में कम दर्शाना अथवा उसके भू-उपयोग को परिवर्तित करना प्रथम दृष्टया अवैध, मनमाना एवं सुनियोजित कृत्य है, जिसका उद्देश्य नगर पार्क की भूमि पर अवैध निर्माणों एवं कॉलोनिजियों को संरक्षण प्रदान करना प्रतीत होता है।

14. That, in this manner, depicting a reduced area of the city park in the records or altering its land use is prima facie illegal, arbitrary, and deliberate,

appearing to be intended to provide protection to unauthorized constructions and colonies on the city park land.

15. यह कि उक्त पत्र से उत्पन्न विरोधाभास यह स्पष्ट करता है कि महायोजना-2021 में नगर पार्क एवं खुले क्षेत्र की भूमि को आवासीय दर्शाया जाना प्राकृतिक न्याय, नियोजन कानून तथा पर्यावरणीय सिद्धांतों के विरुद्ध है और यह एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है, जिसके माध्यम से नगर पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनियों के विकास को वैध स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।

15. That the contradiction arising from the aforementioned letter clearly indicates that depicting the city park and open space land as residential in the Master Plan-2021 is contrary to natural justice, planning laws, and environmental principles, and appears to be a deliberate attempt to legalize the development of unauthorized colonies on the city park land.

16. यह कि उत्तरदाता संख्या- 6, 7, 8 एवं 9 द्वारा महायोजना-2021 में आरक्षित नगर पार्क एवं खुले क्षेत्र की भूमि के अभिलेखों में इस प्रकार का परिवर्तन/हेर-फेर किया जाना, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 तथा उत्तर प्रदेश पार्क, खेल के मैदान और खुले स्थान (संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 1975 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा यह संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 48-A के अंतर्गत निहित पर्यावरण संरक्षण के दायित्वों के भी विपरीत है।

16. That the alteration/manipulation of the records of the land reserved as city park and open spaces in the Master Plan-2021 by Respondents No. 6, 7, 8, and 9 constitutes a clear violation of the Uttar Pradesh Town and Country Planning Act, 1973, and the Uttar Pradesh Parks, Playgrounds, and Open Spaces (Preservation and Regulation) Act, 1975, and is also contrary to the environmental protection obligations enshrined under Articles 21 and 48-A of the Constitution.

17. यह कि उक्त तथ्यों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि उत्तरदाता संख्या-8 का यह कथन कि संपूर्ण भूमि आवासीय है, तथ्यात्मक रूप से असत्य, भ्रामक एवं माननीय अधिकरण को गुमराह करने वाला है, अतः उत्तरदाता संख्या-8 सहित अन्य संबंधित उत्तरदाताओं के उत्तर/दावे अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

17. That from the aforementioned facts, it is conclusively established that the statement of Respondent No. 8 claiming that the entire land is residential is factually false, misleading, and intended to misguide the Hon'ble Tribunal; therefore, the replies/claims of Respondent No. 8, along with those of the other concerned respondents, are liable to be rejected.

### **Reply of the Applicant regarding the Response of Respondent No.-9**

18. यह कि उत्तरदाता संख्या-9 द्वारा अपने उत्तर के साथ जो फोटोग्राफ संलग्न किए गए हैं, वही फोटोग्राफ स्वयं आवेदक के आरोपों की पुष्टि करते हैं, न कि उनका खंडना। संलग्न फोटोग्राफ में

कथित आराजी संख्या 17 एवं 24 में कहीं भी नाला, पत्थर अथवा बंजर भूमि का स्वरूप प्रदर्शित नहीं होती है, बल्कि स्पष्ट रूप से समतल भूमि, पक्के ढांचे, निर्माण सामग्री एवं विकसित संरचनाएं दिखाई दे रही हैं।

18. That the photographs annexed by Respondent No.-9 with their reply in fact confirm the Applicant's allegations rather than refute them. The attached photographs do not show any drain, stones, or wasteland in the alleged plots No. 17 and 24; instead, they clearly depict levelled land, permanent structures, construction materials, and developed constructions.

19. यह कि यदि वास्तव में उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार नाला एवं पत्थर के रूप में सुरक्षित होती, तो स्थल निरीक्षण के फोटोग्राफ में उसका प्राकृतिक स्वरूप स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता। परंतु उत्तरदाता संख्या-9 द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ में न तो किसी नाले का प्रवाह, न उसकी संरचना और न ही पत्थरयुक्त भूमि का कोई चिन्ह विद्यमान है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक स्थिति को छुपाने का प्रयास किया गया है।

19. That if the said land were indeed protected as drains and rocky areas in accordance with the revenue records, the photographs from the site inspection would clearly show its natural condition. However, in the photographs submitted by Respondent No.-9, neither the flow of any drain, its structure, nor any sign of rocky land is visible, which clearly indicates an attempt to conceal the true condition.

20. यह कि फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे निर्माण कार्य, भू-समतलीकरण एवं विकसित ढांचे यह सिद्ध करते हैं कि उक्त भूमि पर पूर्व में अतिक्रमण कर भूमि की प्रकृति को परिवर्तित किया गया है, जो पर्यावरणीय नियमों, राजस्व अभिलेखों तथा झांसी महायोजना-2021 के प्रावधानों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

20. That the construction works, land leveling, and developed structures visible in the photographs demonstrate that the said land has previously been encroached upon and its nature altered, which constitutes a direct violation of environmental regulations, revenue records, and the provisions of the Jhansi Master Plan-2021.

21. यह कि उत्तरदाता संख्या-9 द्वारा यह कथन कि आराजी संख्या 17 एवं 24 में कोई अतिक्रमण नहीं है, केवल कागजी अभिलेखों पर आधारित है, जबकि स्थल की वास्तविक स्थिति इससे पूर्णतः भिन्न है, जिसकी पुष्टि उनके द्वारा संलग्न फोटोग्राफ स्वयं कर रहे हैं।

21. That the statement by Respondent No.-9 that there is no encroachment in plots No. 17 and 24 is based solely on paper records, whereas the actual condition of the site is entirely different, as is confirmed by the photographs annexed by them.

22. यह कि उक्त फोटोग्राफ यह भी दर्शाते हैं कि अतिक्रमण/अवैध निर्माणों को वैध ठहराने के उद्देश्य से तथाकथित सीमांकन एवं घेराबंदी (बोर्ड/आरसीसी पिलर) केवल औपचारिकता एवं कागजी कार्यवाही की खानापूति के रूप में की गई है, जिससे पूर्व में किए गए अतिक्रमण, भूमि की मूल प्रकृति में अवैध परिवर्तन तथा गैर-अनुमन्य निर्माणों को छुपाया जा सके। यह संपूर्ण कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण, विधि विरुद्ध एवं तथ्यात्मक स्थिति को विकृत करने वाली है।

**22.** That the photographs further show that the so-called demarcation and fencing (boards/RCC pillars) carried out to legalize the encroachments/illegal constructions were only a formality and a paper exercise, intended to cover up previous encroachments, unlawful alteration of the land's natural state, and unauthorized constructions. This entire course of action is malicious, unlawful, and distorts the factual situation.

23. यह कि इस प्रकार उत्तरदाता संख्या-9 का उत्तर विरोधाभासी, भ्रामक एवं तथ्यों के विपरीत है तथा संलग्न फोटोग्राफ आवेदक के इस आरोप की पुष्टि करते हैं कि संबंधित आराजियों पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किए गए हैं, जिससे पर्यावरण एवं नगर नियोजन व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंची है।

**23.** That, in this manner, the response of Respondent No.-9 is contradictory, misleading, and contrary to the facts, and the annexed photographs substantiate the Applicant's allegation that the relevant plots have been encroached upon and illegal constructions made, causing serious harm to the environment and urban planning regime.

#### **Reply of the Applicant regarding the Response of Respondent No.-7**

24. यह कि उत्तरदाता संख्या-7 द्वारा दायर शपथपत्र सतही, औपचारिक तथा वास्तविक विवाद के मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास मात्र है। जिलाधिकारी होते हुए भी उत्तरदाता संख्या-7 ने झांसी महायोजना-2021, पर्यावरणीय कानूनों एवं माननीय न्यायाधिकरण के निर्देशों के आलोक में भूमि के वास्तविक भू-उपयोग (*Land Use*) की विधिक जांच नहीं की, जो कि उनके वैधानिक दायित्वों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

**24.** That the affidavit filed by Respondent No.-7 is superficial, formalistic, and merely an attempt to avoid addressing the core issues of the dispute. Despite being the District Magistrate, Respondent No.-7 has failed to conduct a legal verification of the actual land use in light of the Jhansi Master Plan-2021, environmental laws, and the directions of the Hon'ble Tribunal, which constitutes a direct violation of their statutory duties.

25. यह कि उत्तरदाता संख्या-7 ने अपने शपथपत्र में केवल राजस्व अभिलेखों पर आधारित तहसीलदार की रिपोर्ट पर निर्भरता दिखाई है, जबकि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि

महायोजना में आरक्षित नगर पार्क/खुले क्षेत्र की भूमि का संरक्षण जिला प्रशासन का अनिवार्य कर्तव्य है, भले ही वह भूमि निजी खातों में दर्ज हो। इस महत्वपूर्ण तथ्य की पूर्णतः उपेक्षा की गई है।

25. That Respondent No.-7 has relied solely in their affidavit on the Tehsildar's report based on revenue records, whereas it is an established legal principle that the district administration has a mandatory duty to protect land reserved as city parks/open spaces in the Master Plan, even if the land is recorded in private accounts. This vital fact has been completely ignored.

26. यह कि उत्तरदाता संख्या-7 ने यह स्वीकार किया है कि आराजी संख्या 11, 12, 15, 21, 22, 23, 75 एवं 79 झांसी महायोजना-2021 में नगर पार्क के लिए प्रस्तावित हैं, इसके बावजूद न तो किसी प्रकार की निर्माण रोक (Stop Work) की कार्यवाही की गई और न ही अवैध कॉलोनी "ग्रीन वैली" के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई, जो कि घोर लापरवाही एवं कर्तव्यपालन में विफलता को दर्शाता है।

26. That Respondent No.-7 has admitted that plots No. 11, 12, 15, 21, 22, 23, 75, and 79 are proposed as city parks in the Jhansi Master Plan-2021; yet, no Stop Work proceedings were initiated, nor was any punitive action taken against the illegal colony "Green Valley," demonstrating gross negligence and failure to discharge their duties.

27. यह कि शपथपत्र में यह कहना कि सरकारी भूमि (नाला, पत्थर, बंजर) पर "कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया", स्वयं उत्तरदाता संख्या-9 द्वारा संलग्न फोटोग्राफ्स से खंडित हो जाता है, जिनमें न तो नाला दिखाई देता है और न ही पत्थर की कोई प्राकृतिक अवस्था, बल्कि स्पष्ट रूप से निर्माण गतिविधियाँ प्रदर्शित होती हैं। इससे तहसीलदार की रिपोर्ट की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आती है।

27. That the statement in the affidavit claiming that "no encroachment was found" on government land (drain, rocky, wasteland) is contradicted by the photographs annexed by Respondent No.-9, which show neither any drain nor any natural rocky condition, but clearly depict construction activities. This casts serious doubt on the impartiality and reliability of the Tehsildar's report.

28. यह कि आराजी संख्या-17 के संबंध में स्वयं उत्तरदाता संख्या-7 ने यह स्वीकार किया है कि 0.101 हेक्टेयर भूमि का अभिलेखीय अभाव (Shortfall) है, जो भूमि अभिलेखों से छेड़छाड़ एवं अतिक्रमण की ओर स्पष्ट संकेत करता है, इसके बावजूद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल संरक्षणात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही न किया जाना उनके कर्तव्य की अवज्ञा है।

28. That with respect to plot No. 17, Respondent No.-7 has himself admitted a shortfall of 0.101 hectares, which clearly indicates tampering with land

records and encroachment, yet the District Magistrate did not take immediate protective and punitive action, constituting disobedience of duty.

29. यह कि आराजी संख्या-24 के संबंध में भी अतिरिक्त रकबे (0.048 हेक्टेयर) का पाया जाना तथा उसे “खाली” बताना, भूमि की वास्तविक प्रकृति एवं स्थल की भौतिक स्थिति को छुपाने का प्रयास है, क्योंकि खाली भूमि पर भी यदि वह नगर पार्क/खुले क्षेत्र या पत्थर/नाला के रूप में दर्ज है, तो उस पर किसी भी प्रकार का भूमि उपयोग परिवर्तन विधि विरुद्ध है।

29. That regarding plot No. 24, the finding of additional area (0.048 hectares) and describing it as “vacant” is an attempt to conceal the actual nature of the land and the site’s physical condition, because even if the land is recorded as city park/open space or rocky/drain land, any change in land use is unlawful.

30. यह कि उत्तरदाता संख्या-7 द्वारा यह कहना कि निजी खातों में दर्ज भूमि पर प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, पूर्णतः असंवैधानिक एवं विधि विरुद्ध है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा यह बार-बार स्पष्ट किया गया है कि नगर पार्क, खुले क्षेत्र, जलनिकाय एवं पर्यावरणीय भूमि का संरक्षण राज्य एवं जिला प्रशासन का सार्वजनिक न्यास (Public Trust Doctrine) के अंतर्गत कर्तव्य है।

30. That the statement by Respondent No.-7 that the administration has no responsibility over land recorded in private accounts is entirely unconstitutional and illegal, as the Hon’ble Supreme Court and the National Green Tribunal have repeatedly clarified that the protection of city parks, open spaces, water bodies, and environmental lands is a duty of the State and District Administration under the Public Trust Doctrine.

31. यह कि जिलाधिकारी, जनपद के सर्वोच्च राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, अवैध कॉलोनियों, भूमि उपयोग परिवर्तन, पर्यावरण क्षति एवं महायोजना उल्लंघन को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं, परंतु उनके शपथपत्र से यह परिलक्षित होता है कि उन्होंने केवल अधीनस्थ अधिकारी की रिपोर्ट पर निर्भर रहकर अपने संवैधानिक, वैधानिक एवं न्यायाधिकारणीय दायित्वों की अवहेलना की है।

31. That being the highest revenue and administrative officer of the district, the District Magistrate is personally responsible for preventing illegal colonies, land use changes, environmental damage, and violations of the Master Plan; yet, the affidavit reflects that Respondent No.-7 merely relied on subordinate officers’ reports, thereby neglecting their constitutional, statutory, and tribunal-mandated responsibilities.

32. यह कि उक्त शपथपत्र माननीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 04.11.2024 की भावना एवं उद्देश्य के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इसमें न तो अवैध निर्माणों की पहचान की गई है और न ही उनके विरुद्ध किसी प्रभावी कार्यवाही का उल्लेख किया गया है।

**32.** That the said affidavit is not in accordance with the spirit and purpose of the Hon'ble Tribunal's order dated 04.11.2024, as it neither identifies illegal constructions nor mentions any effective action taken against them.

33. अतः यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता संख्या-7 द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, पर्यावरण संरक्षण के दायित्व की अवज्ञा तथा अवैध निर्माणों को अप्रत्यक्ष संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके लिए माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उत्तरदाता संख्या-7 के विरुद्ध उपयुक्त निर्देश एवं उत्तरदायित्व तय किया जाना आवश्यक है।

**33.** Therefore, it is evident that Respondent No.-7 has exhibited gross negligence in discharging their duties, ignored obligations of environmental protection, and has indirectly facilitated illegal constructions, for which the Hon'ble Tribunal should issue appropriate directions and fix accountability against Respondent No.-7.

Reply of the Applicant regarding the Response/Affidavit of Respondent No.-3

34. यह कि उत्तरदाता संख्या-3 द्वारा दायर दोनों शपथपत्र मात्र औपचारिक पत्राचार तक सीमित हैं तथा इनमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की वास्तविक, स्थल-स्तरीय अथवा वैधानिक कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता ने अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया।

**34.** That the two affidavits filed by Respondent No.-3 are merely formal correspondences and do not mention any actual, on-site, or statutory action relating to environmental protection, clearly indicating that the Respondent has failed to discharge their statutory duties.

35. यह कि उत्तरदाता संख्या-3 ने स्वयं स्वीकार किया है कि मामला नगर पार्क की भूमि पर अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण, अवैध कॉलोनी विकास एवं पेट्रोल पम्प स्थापना से संबंधित है, इसके बावजूद न तो स्थल निरीक्षण किया गया और न ही वायु, जल, ध्वनि अथवा ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के दृष्टिकोण से कोई पर्यावरणीय आकलन किया गया, जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत उत्तरदाता का अनिवार्य दायित्व है।

**35.** That Respondent No.-3 has himself admitted that the matter pertains to encroachment on city park land, unauthorized constructions, development of illegal colonies, and establishment of a petrol pump; yet, no site inspection was conducted, nor was any environmental assessment carried out in terms of air, water, noise, or solid waste pollution, which is a mandatory obligation of the Respondent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

36. यह कि उत्तरदाता संख्या-3 द्वारा बार-बार झांसी विकास प्राधिकरण को पत्र लिखने की बात कही गई है, किंतु यह स्वीकार किया गया है कि झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसके बावजूद उत्तरदाता संख्या-3 द्वारा न तो किसी प्रकार की वैधानिक अनुस्मारक (Statutory Reminder), न ही बाध्यकारी निर्देश (Direction under Section 33A/31A) जारी किया गया, जो उनके कर्तव्यों की घोर अवहेलना है।

36. That Respondent No.-3 has repeatedly stated that letters were written to the Jhansi Development Authority, but it has been admitted that no response was received from the Authority. Despite this, Respondent No.-3 did not issue any statutory reminders or binding directions (under Section 33A/31A), which constitutes gross negligence of their duties.

37. यह कि उत्तरदाता संख्या-3 ने यह भी नहीं बताया कि ग्रीन वैली कॉलोनी अथवा आराजी संख्या-23 पर प्रस्तावित/स्थापित पेट्रोल पम्प के लिए कोई **Consent to Establish (CTE)** या **Consent to Operate (CTO)** जारी किया गया है अथवा नहीं। बिना पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सहमति के इस प्रकार की गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से अवैध हैं, जिन पर कार्यवाही करना UPPCB का वैधानिक कर्तव्य था।

37. That Respondent No.-3 has also failed to clarify whether any **Consent to Establish (CTE)** or **Consent to Operate (CTO)** was issued for the proposed/established petrol pump in the Green Valley Colony or plot No. 23. Activities conducted without environmental clearance and consent are clearly illegal, and it was the statutory duty of the UPPCB to take action.

38. यह कि उत्तरदाता संख्या-3 द्वारा यह कहना कि उन्होंने “आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित कर लिया है”, तथ्यात्मक रूप से असत्य एवं भ्रामक है, क्योंकि किसी भी प्रकार की निरीक्षण रिपोर्ट, नमूना परीक्षण, नोटिस, कारण बताओ नोटिस अथवा दण्डात्मक कार्यवाही अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है।

38. That the statement by Respondent No.-3 claiming that they have “ensured necessary compliance” is factually false and misleading, as no inspection report, sample testing, notice, show-cause notice, or punitive action has been placed on record.

39. यह कि नगर पार्क, नाला एवं खुले क्षेत्र की भूमि पर अवैध निर्माण एवं भूमि उपयोग परिवर्तन से पर्यावरण, हरित क्षेत्र, भूजल पुनर्भरण एवं शहरी पारिस्थितिकी को गंभीर क्षति होती है, जिसे रोकना उत्तरदाता संख्या-3 का संवैधानिक दायित्व (अनुच्छेद 48-A एवं 51-A(g)) है, परंतु उत्तरदाता द्वारा इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

39. That illegal constructions and changes in land use on city parks, drains, and open spaces cause serious harm to the environment, green cover,

groundwater recharge, and urban ecology, which the Respondent is constitutionally obligated to prevent under Articles 48-A and 51-A(g); yet, no effective steps have been taken in this regard.

40. यह कि उत्तरदाता संख्या-3 ने अपने शपथपत्र में केवल अन्य विभागों पर निर्भरता दर्शाई है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सक्रिय प्रवर्तन प्राधिकरण (*Enforcement Authority*) है, न कि मात्र पत्राचार करने वाली संस्था।

**40.** That in the affidavit, Respondent No.-3 has merely shown dependency on other departments, whereas the Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble National Green Tribunal have repeatedly clarified that the Pollution Control Board is an **active enforcement authority**, not merely a correspondence-based body.

41. यह कि उत्तरदाता संख्या-3 द्वारा समय पर प्रभावी कार्यवाही न किए जाने के कारण अवैध निर्माणों को निरंतर बढ़ावा मिला है तथा पर्यावरणीय क्षति लगातार होती रही है, जिसके लिए उत्तरदाता संख्या-3 प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है।

**41.** That due to Respondent No.-3's failure to take timely and effective action, illegal constructions have continued to proliferate, and environmental damage has continued, for which Respondent No.-3 is directly responsible.

42. यह कि उत्तरदाता संख्या-3 का उत्तर माननीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 29.07.2024 एवं 04.11.2024 की भावना के विपरीत है, क्योंकि आदेशों का उद्देश्य वास्तविक स्थल-स्तरीय जांच, अवैध गतिविधियों की पहचान एवं रोकथाम था, न कि मात्र विभागीय पत्राचार।

**42.** That the response of Respondent No.-3 is contrary to the spirit of the Hon'ble Tribunal's orders dated 29.07.2024 and 04.11.2024, as the purpose of the orders was to conduct actual on-site inspections, identify illegal activities, and prevent them, not merely to engage in departmental correspondence.

43. अतः यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता संख्या-3 द्वारा अपने वैधानिक, संवैधानिक एवं न्यायाधिकरणीय दायित्वों की अवज्ञा की गई है तथा अवैध निर्माणों एवं भूमि उपयोग परिवर्तन को अप्रत्यक्ष संरक्षण प्रदान किया गया है, जिस पर माननीय न्यायाधिकरण द्वारा कड़ी टिप्पणी एवं आवश्यक निर्देश पारित किया जाना न्यायहित एवं पर्यावरण हित में आवश्यक है।

**43.** Therefore, it is evident that Respondent No.-3 has disobeyed their statutory, constitutional, and tribunal-mandated obligations, and has indirectly facilitated illegal constructions and changes in land use, warranting

strict commentary and necessary directions from the Hon'ble Tribunal in the interest of justice and environmental protection.

Reply of the Applicant regarding (I.A.) No. 414 of 2025

44. यह कि अंतरिम आवेदन में किए गए कथन तथ्यहीन, भ्रामक एवं वास्तविक अभिलेखों के विपरीत हैं। आवेदक द्वारा मूल आवेदन में लगाए गए आरोप पर आधारित नहीं हैं, बल्कि उत्तरदाता संख्या-7, 8 और 9 के उत्तर पर आधारित है। जो असत्य, भ्रामक, अपूर्ण एवं तथ्यों के विपरीत हैं जिसका उद्देश्य न्यायाधिकरण को गुमराह कर नगर पार्क, नाले एवं पत्थर और बंजर की भूमि के अवैध निर्माणों को बचाना और वैध ठहराना है।

44. That the statements made in the interim application are factually incorrect, misleading, and contrary to the actual records. They are not based on the allegations raised in the original application, but solely on the replies of Respondents No.-7, 8, and 9, which are false, misleading, incomplete, and contrary to facts, and appear to be intended to mislead the Tribunal and protect or legitimize illegal constructions on city park, drain, rocky, and wasteland areas.

45. यह कि अंतरिम आवेदक द्वारा यह कहना कि उन्हें बिना आधार नामजद किया गया है, पूर्णतः असत्य है। झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्या 2249/जे.डी.ए./ (2024-25) दिनांक 25.10.2024 (अभिलेख संख्या 140) में स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि मौजा पिछोर की सजरा शीट में संबंधित आराजियों का भू-उपयोग नगर पार्क एवं प्रस्तावित 24 मीटर मार्ग दर्शित है, जो मूल आवेदन में लगाए गए आरोपों की पुष्टि करता है।

45. That the claim by the interim applicant that they have been named without basis is entirely false. In letter No. 2249/J.D.A./ (2024-25) dated 25.10.2024 (Record No. 140) issued by the Jhansi Development Authority, it is explicitly acknowledged that the land use of the relevant plots in the Moja Pichhor Saajara Sheet is recorded as city park and proposed 24-meter road, confirming the allegations made in the original application.

46. यह कि अंतरिम आवेदक द्वारा यह तर्क देना कि उन्हें मेमो ऑफ पार्टीज़ में सम्मिलित नहीं किया गया, कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कार्यवाही *in rem* प्रकृति की होती है तथा अवैध निर्माण, अतिक्रमण एवं पर्यावरणीय क्षति में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान जांच के दौरान की जाती है।

46. That the argument by the interim applicant that they were not included in the Memo of Parties does not constitute any legal error, as proceedings before the Hon'ble National Green Tribunal are **in rem** in nature, and

identification of individuals involved in illegal construction, encroachment, and environmental damage is carried out during the course of investigation.

47. यह कि अंतरिम आवेदक ने अपने आवेदन में यह नहीं बताया है कि संबंधित आराजियों पर विकसित की जा रही तथाकथित “ग्रीन वैली कॉलोनी” के लिए किस वैधानिक प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृति, भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU), पर्यावरणीय स्वीकृति अथवा विकास अनुमति प्राप्त की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक आवश्यक तथ्यों को छुपा रहे हैं।

47. That the interim applicant has failed to disclose in their application whether any statutory authority granted layout approval, land use change (CLU), environmental clearance, or development permission for the so-called “Green Valley Colony” being developed on the relevant plots, indicating that the applicant is deliberately concealing necessary facts.

48. यह कि अंतरिम आवेदक द्वारा *audi alteram partem* का हवाला देना भ्रामक है, क्योंकि वर्तमान अंतरिम आवेदन के माध्यम से उन्हें अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो चुका है तथा यह आवेदन स्वयं इस तथ्य का प्रमाण है कि उन्हें सुना जा रहा है।

48. That the reference to **audi alteram partem** by the interim applicant is misleading, as they have already been provided a full opportunity to present their case through the current interim application, which itself demonstrates that they are being heard.

49. यह कि अंतरिम आवेदक द्वारा मूल आवेदक पर “क्लीन हैंड्स” न होने का आरोप निराधार है। इसके विपरीत, मूल आवेदक द्वारा महायोजना-2001, महायोजना-2021, राजस्व अभिलेख, झांसी विकास प्राधिकरण के द्वारा सार्वजनिक की गई झांसी महायोजना 2021 के अनुसार ग्राम-पिछोर, तहसील व जिला झांसी के नगर पार्क एवं मार्ग की प्रस्तावित भूमि आराजी संख्या की सूची तथा अन्य शासकीय दस्तावेजों के आधार पर ही यह याचिका दायर की गई है।

49. That the interim applicant’s allegation that the original applicant does not have “clean hands” is baseless. On the contrary, the original applicant filed this petition based entirely on the Master Plan–2001, Master Plan–2021, revenue records, the publicly issued Jhansi Master Plan–2021 by the Jhansi Development Authority, lists of plots proposed for city parks and roads in Moja Pichhor, Tehsil and District Jhansi, and other government records.

50. यह कि अंतरिम आवेदक द्वारा यह कहना कि कोई पर्यावरणीय क्षति नहीं हुई है, तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि नगर पार्क, नाला एवं खुले क्षेत्र की भूमि पर आवासीय भूखंडों का निर्माण, कॉलोनी विकास एवं पेट्रोल पम्प की स्थापना स्वयं में पर्यावरणीय क्षति एवं भूमि उपयोग परिवर्तन का स्पष्ट उदाहरण है।

**50.** That the claim by the interim applicant that no environmental damage has occurred is factually incorrect, as construction of residential plots, colony development, and establishment of a petrol pump on city park, drain, and open space land constitutes clear environmental damage and land use alteration.

51. यह कि अंतरिम आवेदक द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि क्या उनके या उनसे संबद्ध व्यक्तियों द्वारा संबंधित आराजियों पर किए गए निर्माणों हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त की गई हैं।

**51.** That the interim applicant has also failed to disclose whether the constructions carried out by themselves or their associates on the relevant plots have obtained the necessary permissions under the Uttar Pradesh Town and Country Planning Act, 1973, and the Environment Protection Act, 1986.

52. यह कि अंतरिम आवेदन का उद्देश्य वास्तविक तथ्यों का खंडन करना नहीं, बल्कि कार्यवाही को विलंबित करना एवं जांच को प्रभावित करना प्रतीत होता है, जबकि माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष पहले से ही गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे लंबित हैं।

**52.** That the purpose of the interim application appears not to refute the actual facts but to delay proceedings and impede the investigation, whereas serious environmental issues are already pending before the Hon'ble Tribunal.

53. यह कि आवेदक को अंतरिम आवेदक के प्रतिउत्तर दायर करने पर कोई आपत्ति नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि उन्हें केवल औपचारिक रूप से नहीं बल्कि अवैध निर्माण, भूमि उपयोग परिवर्तन एवं पर्यावरणीय क्षति में उनकी वास्तविक भूमिका की सम्यक जांच के उपरांत ही उत्तरदायी ठहराया जाए।

**53.** That the applicant has no objection to the interim applicant filing a reply, but it is necessary that they be held accountable only after a proper inquiry into their actual role in illegal constructions, land use changes, and environmental damage, and not merely on a formal basis.

54. अतः यह निवेदन है कि माननीय न्यायाधिकरण अंतरिम आवेदन में किए गए भ्रामक कथनों को अस्वीकार करते हुए, झांसी विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 2249/जे.डी.ए./ (2024-25) दिनांक 25.10.2024 (अभिलेख सं. 140) सहित सभी शासकीय अभिलेखों के आलोक में निष्पक्ष जांच कराए।

**54.** Therefore, it is submitted that the Hon'ble Tribunal may reject the misleading statements made in the interim application and order a fair

investigation in light of all government records, including the letter No. 2249/J.D.A./(2024-25) dated 25.10.2024 (Record No. 140).

55. यह कि पर्यावरण संरक्षण, नगर पार्क एवं सार्वजनिक भूमि की रक्षा सर्वोपरि है और किसी भी निजी व्यक्ति को तकनीकी आपत्तियों के माध्यम से सार्वजनिक हित के मामलों को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

**55.** That the protection of the environment, city parks, and public land is of paramount importance, and no private individual can be permitted to weaken matters of public interest through technical objections.

56. यह कि जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा पत्र संख्या 476/20-गति0/प्रशासनिक/एन.ओ.सी./2024 दिनांक 28.06.2024 के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह तथ्य अभिलेखित है कि मौजा पिछोर, तहसील एवं जिला झांसी स्थित आराजी संख्या 23 पर पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापित किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में विभिन्न विभागों से स्थलीय निरीक्षण एवं तथ्यात्मक आख्या मांगी गई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त भूमि पर व्यावसायिक गतिविधि प्रस्तावित/प्रारंभ की जा चुकी है। (अनुलग्नक सं.-1)

**56.** That it is recorded in letter No. 476/20-Gati/Administrative/N.O.C./2024 dated 28.06.2024 issued by the District Magistrate, Jhansi, that for the proposed establishment of a petrol/diesel pump on plot No. 23 in Moja Pichhor, Tehsil and District Jhansi, site inspections and factual reports were requested from various departments, indicating that commercial activity has been proposed/initiated on the land. (*Annexure No.-1*)

57. यह कि उक्त पत्र में जिला प्रशासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण एवं विक्रय हेतु स्थल चयन के समय भू-स्वामित्व, भू-उपयोग, मास्टर प्लान, यातायात प्रभाव, सार्वजनिक सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, पर्यावरणीय प्रभाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर परीक्षण आवश्यक है, जो इस तथ्य को पुष्ट करता है कि यह सामान्य आवासीय भूखंड का मामला नहीं बल्कि उच्च पर्यावरणीय एवं सार्वजनिक जोखिम से जुड़ा विषय है।

**57.** That the said letter further directs that for storage and sale of petroleum products, site selection must take into account land ownership, land use, master plan conformity, traffic impact, public safety, fire protection, environmental impact, and disaster management, confirming that this is not a simple residential plot matter but involves high environmental and public risk.

58. यह कि जब स्वयं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु स्थल के भू-उपयोग, मास्टर प्लान अनुरूपता एवं पर्यावरणीय पहलुओं पर जांच कराई जा रही है, तब अंतरिम

आवेदक द्वारा यह कहना कि किसी प्रकार की अवैध गतिविधि या पर्यावरणीय उल्लंघन नहीं हुआ है, पूर्णतः भ्रामक, तथ्यहीन एवं अभिलेखों के विपरीत है।

**58.** That when the District Magistrate, Jhansi, himself is conducting investigation regarding land use, master plan conformity, and environmental aspects for the petrol pump, the claim by the interim applicant that no illegal activity or environmental violation has occurred is entirely misleading, false, and contrary to records.

59. यह कि जिला मजिस्ट्रेट के उक्त पत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि संबंधित भूमि पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, तथा पेट्रोलियम नियमावली के अंतर्गत आवश्यक अनुमतियों के बिना किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण स्वतः अवैध होगा, जबकि अंतरिम आवेदक ने अपने आवेदन में ऐसी किसी वैधानिक अनुमति का उल्लेख नहीं किया है।

**59.** That the letter from the District Magistrate also makes it clear that any development/construction on the relevant land without necessary permissions under the Uttar Pradesh Town and Country Planning Act, 1973, the Environment Protection Act, 1986, and the Petroleum Rules would be illegal, whereas the interim applicant has made no mention of such statutory permissions in their application.

60. यह कि जिला प्रशासन द्वारा अनेक विभागों—नगर निगम, झांसी विकास प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग, विद्युत सुरक्षा, लोक निर्माण विभाग आदि—से आख्या मांगा जाना इस तथ्य का स्पष्ट संकेत है कि स्थल की प्रकृति विवादित एवं संवेदनशील है, और इसे साधारण निजी भूमि बताकर तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है।

**60.** That the request by the district administration for factual reports from multiple departments—Municipal Corporation, Jhansi Development Authority, Pollution Control Board, Fire Department, Electrical Safety, PWD, etc.—clearly indicates that the site is disputed and sensitive, and an attempt is being made to conceal facts by treating it as ordinary private land.

61. यह कि उक्त पत्र यह भी सिद्ध करता है कि आराजी संख्या 23 सहित अन्य संबंधित आराजियों पर गतिविधियाँ केवल आवासीय निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वाणिज्यिक उपयोग (पेट्रोल पम्प) की दिशा में बढ़ाई जा रही हैं, जो नगर पार्क/खुले क्षेत्र के स्वरूप के सर्वथा विपरीत है।

**61.** That the letter also demonstrates that activities on plot No. 23 and other relevant plots are not limited to residential construction but are being expanded towards commercial use (petrol pump), which is entirely contrary to the character of city park/open space.

62. यह कि अंतरिम आवेदक द्वारा *clean hands* एवं *false implication* का जो तर्क दिया गया है, वह जिला मजिस्ट्रेट, झांसी के आधिकारिक पत्र दिनांक 28.06.2024 के आलोक में स्वतः ही ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर भी उक्त स्थल की वैधानिकता, भू-उपयोग एवं पर्यावरणीय प्रभाव की जांच आवश्यक मानी गई है।

**62.** That the arguments by the interim applicant regarding “clean hands” and “false implication” are automatically refuted by the official letter of the District Magistrate, Jhansi, dated 28.06.2024, as administrative investigation into statutory compliance, land use, and environmental impact has been deemed necessary.

63. यह कि अतः यह स्पष्ट है कि अंतरिम आवेदन वास्तविक तथ्यों का खंडन करने के लिए नहीं, बल्कि जिला प्रशासन एवं अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा की जा रही जांच को कमजोर करने तथा कार्यवाही को विलंबित करने के उद्देश्य से दायर किया गया है।

**63.** That therefore, it is evident that the interim application has been filed not to refute actual facts but to weaken the investigation being carried out by the district administration and other statutory authorities and to delay proceedings.

64. यह कि नगर पार्क, नाला एवं खुले क्षेत्र की भूमि पर अवैध कॉलोनी विकास एवं पेट्रोल पम्प जैसी उच्च जोखिम वाली वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति देना न केवल मास्टर प्लान का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 48A एवं 51A(g) के अंतर्गत राज्य एवं नागरिकों के पर्यावरणीय दायित्वों का भी घोर उल्लंघन है।

**64.** That permitting illegal colony development and high-risk commercial activities such as petrol pumps on city park, drain, and open space land not only violates the Master Plan but also constitutes a grave breach of the environmental duties of the State and citizens under Articles 48-A and 51-A(g) of the Constitution.

65. यह कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंधित आराजी नंबरों पर किए गए समस्त अतिक्रमणों एवं अवैध/अनधिकृत निर्माणों का तत्काल हटाया जाना नितांत आवश्यक है, ताकि पर्यावरणीय संतुलन की रक्षा हो सके तथा भूमि उपयोग से संबंधित वैधानिक प्रावधानों एवं पर्यावरणीय नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

**65.** That from an environmental perspective, it is imperative that all encroachments and illegal/unauthorized constructions on the relevant plots be removed immediately to preserve ecological balance and ensure effective compliance with statutory land use provisions and environmental regulations.

66. यह कि उत्तरदाता संख्या-7, 8, 9 तथा अंतरिम आवेदक द्वारा इस माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष असत्य, भ्रामक, अपूर्ण एवं तथ्यों के विपरीत कथन प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही, प्रकरण से यह स्पष्ट है कि संबंधित भूमि पर पर्यावरणीय नियमों, भूमि उपयोग प्रावधानों तथा आवश्यक वैधानिक अनुमतियों का गंभीर एवं सतत उल्लंघन किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, तथ्यों की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सम्यक जांच हेतु एक स्वतंत्र एवं संयुक्त जांच समिति का गठन किया जाना न्यायहित में अति-आवश्यक है। जो स्थल का भौतिक निरीक्षण, अभिलेखीय परीक्षण, सीमांकन की सत्यता, भूमि उपयोग परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रभाव एवं वैधानिक अनुमतियों की सम्यक जांच कर निर्धारित समयावधि में विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे।

**66.** That Respondents No.-7, 8, 9, and the interim applicant have made false, misleading, incomplete, and factually incorrect statements before this Hon'ble Tribunal. It is evident from the record that environmental regulations, land use provisions, and necessary statutory approvals have been seriously and continuously violated on the relevant land. Under these circumstances, it is absolutely necessary in the interest of justice to constitute an independent and joint inquiry committee to conduct on-site inspections, examine records, verify demarcations, assess land use changes, evaluate environmental impact, and scrutinize statutory permissions, and to submit a detailed report to the Hon'ble Tribunal within a fixed timeframe.

### (प्रार्थना)

अतः उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेखों के आलोक में यह माननीय न्यायाधिकरण कृपया अनुग्रह कर:-

1. अंतरिम आवेदन (I.A. No. 414 of 2025), जो कि तथ्यों को छुपाकर, भ्रामक एवं निराधार आधारों पर प्रस्तुत किया गया है, को निरस्त/खारिज करने की कृपा करे।
2. यह घोषित करने की कृपा करे कि उत्तरदाता संख्या-3, 7, 8 एवं अंतरिम आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर/आवेदन प्रासंगिक तथ्यों को दबाकर एवं भ्रामक कथनों पर आधारित है, जिस पर कोई राहत प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है।
3. यह कि माननीय न्यायाधिकरण कृपया पर्यावरणीय संतुलन की रक्षा एवं विधिक प्रावधानों के अनुपालन के हित में संबंधित आराजी नंबरों पर किए गए समस्त अतिक्रमणों एवं अवैध/अनधिकृत निर्माणों को तत्काल हटाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को निर्देशित करने की कृपा करें।
4. यह कि उत्तरदाता संख्या-7, 8, 9 तथा अंतरिम आवेदक द्वारा प्रस्तुत असत्य एवं भ्रामक कथनों तथा भूमि उपयोग एवं पर्यावरणीय नियमों के गंभीर उल्लंघन के दृष्टिगत, एक स्वतंत्र एवं संयुक्त जांच समिति के गठन का आदेश पारित किया जाए, जो स्थल का भौतिक निरीक्षण, अभिलेखीय

परीक्षण, सीमांकन, भूमि उपयोग परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रभाव एवं वैधानिक अनुमतियों की जांच कर निर्धारित समयावधि में विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें।

5. यह कि संबंधित सक्षम प्राधिकरणों/अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें कि वे उक्त स्थल के भू-उपयोग, मास्टर प्लान अनुरूपता, पर्यावरणीय प्रभाव एवं वैधानिक अनुमतियों के संबंध में संयुक्त एवं निष्पक्ष जांच रिपोर्ट माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष नियत अवधि में प्रस्तुत करें।
6. इस प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय न्यायाधिकरण जो अन्य आदेश/निर्देश पारित करना उचित एवं न्यायोचित समझे, पारित करने की कृपा करें।

इसके लिए याचिकाकर्ता सदा आपका आभारी रहेगा।

### (Prayer)

In light of the foregoing facts, circumstances, and records, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to:

1. Dismiss/Reject the interim application (I.A. No. 414 of 2025), which has been filed on misleading, false, and baseless grounds, concealing the actual facts.
2. Declare that the replies/applications submitted by Respondents No.-3, 7, 8, and the interim applicant are based on suppression of relevant facts and misleading statements, and that no relief should be granted thereon.
3. Direct the concerned authorities to immediately remove all encroachments and illegal/unauthorized constructions on the relevant plots in the interest of environmental balance and compliance with statutory provisions.
4. Constitute an independent and joint inquiry committee in view of the false and misleading statements submitted by Respondents No.-7, 8, 9, and the interim applicant, and the serious violations of land use and environmental regulations, to conduct physical site inspections, examine records, verify demarcations, assess land use changes and environmental impact, scrutinize statutory approvals and submit a detailed report to this Hon'ble Tribunal within a specified timeframe.
5. Direct the concerned authorities/officers to submit before this Hon'ble Tribunal, within the prescribed timeframe, a joint and impartial report regarding the land use, master plan conformity, environmental impact, and statutory approvals of the said site.

6. Pass such other orders/directions as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice, considering the circumstances of the present case.

For this act of kindness, the Applicant shall ever remain obliged.

दिनांक 20.01.2026

प्रार्थी



विकास पुत्र श्री चन्दन सिंह  
153 पिछौर, झांसी, उत्तर प्रदेश-284128  
ई-मेल [vikasyadav09898@gmail.com](mailto:vikasyadav09898@gmail.com)  
मो. 8115101078



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 911/2024

Vikash

.....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

.....Respondent(s)

**शपथ-पत्र**

मैं शपथकर्ता विकास पुत्र श्री चन्दन सिंह निवासी- 153 पिछौर, झांसी, उत्तर प्रदेश। शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रकरण में आवेदक है एवं हालात प्रकरण से पूरी तरह से वाकिफ है। तथा अतिरिक्त सबमिशन देने में सक्षम है।
2. यह कि शपथकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रकरण में रिजॉइंडर प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. यह कि शपथकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिजॉइंडर में सही-सही तथ्यों में तहरीर किया गया है। जिन्हें पुनः संक्षिप्ता के कारण शपथपत्र में दोहराया नहीं जा रहा है इसलिए उन्हें इस शपथपत्र में अडॉप्ट किया जा रहा है जो इस शपथपत्र का भाग माना जावे।

मैं शपथकर्ता तस्दीक करता हूँ कि वर्तमान शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरे निजी ज्ञान और जानकारी अनुसार सब सत्य और सही है तथा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह तस्दीक आज दिनांक 20.01.2026 को वमुकाम अहाता कचहरी झांसी में की गयी।

*विकास*  
शपथकर्ता

55  
Vikash  
20.01.26

## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।

दिनांक: जून 28, 2024

संख्या: 476 / 20-शोसिओ/पेट्रोलियम/एन.ओ.सी.-2024

विषय:-

मै0 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) कानपुर टैरीटोरी (रिटेल), कानपुर के मैनेजर द्वारा खसरा नम्बर 23 मौजा पिछोर, थाना नवाबाद तहसील व जिला झांसी में प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापना हेतु पेट्रोलियम नियमावली के नियम 144 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु जांच/निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

धरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
झांसी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मै0 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) कानपुर, टैरीटोरी (रिटेल), कानपुर के संलग्न पत्र संख्या- KNP.NRO (958/2023) दिनांक 07-06-2024 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा खसरा नम्बर 23 मौजा पिछोर, थाना नवाबाद, तहसील व जिला झांसी पर पेट्रोल/डीजल स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः मै0 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र मय मानचित्र एवं शासनादेश संख्या-29/2023/959पी/छ-पु-6-23-01ए विविध/2020 टीसी-8 गृह (पुलिस) अनुभाग-6, लखनऊ दिनांक 15-05-2023 में उल्लिखित प्रारूप संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त प्रकरण में स्थलीय जांच उपरान्त निम्न बिन्दुओं पर अपनी संस्तुति सहित स्पष्ट आख्या प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

- 1-(क)-पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण के लिये इन नियमों के अधीन परिसर का विकास करने के लिये भू-स्वामी या पट्टेदार से प्राधिकार सहित आवेदक द्वारा स्थल पर विधिमाम्य कब्जा;
  - (ख)-लोक, विशेष रूप से ऑफ-साइट जैसी सुविधाओं, विद्यालयों, अस्पतालों या सार्वजनिक रागा के आस-पास स्थित स्थलों और उपशमन उपाद, यदि कोई हो प्रदान किये गये हैं;
  - (ग)- यातायात घनत्व और यातायात पर प्रभाव;
  - (घ)- स्थानीय या क्षेत्र विकास योजना के अनुरूप प्रस्ताव;
  - (ङ)- आपातकालीन मामलों में आग लगने पर स्थल तक पहुँच और आपातकालीन मामलों से निपटने के लिये अग्निशमन सेवाओं की तैयारी;
  - (च)- उद्देश्य की वास्तविकता
  - (छ)- सार्वजनिक सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य कोई मामला।
2. रिटेल आउट के प्रबंधक/एजेन्ट जिसके नाम डीलरशिप आवंटित की गयी है के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन एवं ख्याति कैसी है?
- 3- प्रस्तावित स्थल के ऊपर से हाइटेशन विद्युत लाईन तो नहीं गुजर रही है के सम्बन्ध में आख्या।
- 4- प्रस्तावित स्थल की भूमि का स्वामित्व का प्रकार क्या है? तथा क्या उक्त भूमि को उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-143 एवं नवीन धारा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की नई धारा-80 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित की जा चुकी है अथवा नहीं? संबंधित भूमि की खतौनी खसरा एवं नक्शा की प्रतियाँ संलग्न करें।
- 5- प्रस्तावित निर्माण की अनुमति से सार्वजनिक निर्माण विभाग/गांवसभा/नज्म आदि की भूमि पर अतिक्रमण होने की सम्भावना तो नहीं है तथा क्या प्रस्तावित स्थल पर निर्माण होने पर रोड साईड लैंड कन्ट्रोल एक्ट में दिये गये प्राविधानों का उल्लंघन तो नहीं होगा?
- 6- आवेदक के ऊपर किसी प्रकार का राजकीय देय तो बकाया नहीं है एवं वह राजकीय योजनाओं में क्या सहयोग करता है।
- 7- प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापित होने से प्रदूषण के सम्बन्ध में आख्या।
- 8- प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापित होने पर आवकारी विभाग अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आख्या दें।
- 9- अन्य कोई टिप्पणी यदि आवश्यक हो।
- संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी(शास्त्र)  
कृते जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों को मै0 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र मय मानचित्र एवं शासनादेश संख्या-29/2023/959पी/छ-पु-6-23-01 विविध/2020 टीसी-8 गृह (पुलिस) अनुभाग-6, लखनऊ दिनांक 15-05-2023 में उल्लिखित प्रारूप संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरिवर्णित बिन्दुओं के विषय में अपनी विधि सम्मत एवं नियमानुसार सुस्पष्ट संस्तुति सहित विभागीय आख्या इस कार्यालय को यथारीघ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी।
  2. उप जिलाधिकारी, झांसी।
  3. सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी।
  4. अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी।
  5. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, झांसी।
  6. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी।
  7. जिला आदकारी अधिकारी, झांसी।
  8. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, झांसी।
  9. सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, झांसी।
  10. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, झांसी।
  11. श्री दीपक यादव पुत्र श्री राकेश यादव नि0 38 कैलाश रेजीडेन्सी, गल्ला मण्डी रोड, थाना कोतवाली, जिला झांसी (मो0नं0 9793971447)
- संलग्नक - उपरोक्तानुसार।



प्रभारी अधिकारी(शास्त्र)  
कृते जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।

सेते उद्देश्यों जो जो कि वर्तमान समय से आवासीय क्षेत्रों में स्थित हैं और धोरणगत एवं दूषित वातावरण उत्पन्न करते हैं, महायोजना में उद्देश्यों के लिये निर्धारित स्थानों पर स्थानान्तरित करने का सुझाव दिया गया है।

2.3.5 सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ :- वर्तमान समय में सामुदायिक सुविधाएँ जनसंख्या की आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत महायोजना में 967.17 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है जो कि कुल विस्तृत क्षेत्र का <sup>21.00 प्रतिशत</sup> ~~21.00 प्रतिशत~~ विवरण निम्न प्रकार है :-

2.3.5.1 पार्क, क्रीड़ा स्थल, खुले क्षेत्र एवं मनोरंजन सुविधाएँ :- पार्क, तथा क्रीड़ा स्थल नागरिकों को रमणीक दृश्य एवं शुद्ध वायु के साथ-साथ मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। नगर की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुये महायोजना में कुल 504.83 हेक्टेयर भूमि नगर पार्क, प्रकांडीय पार्क एवं क्रीड़ा स्थलों आदि के लिये प्रस्तावित की गई है। इन खुले क्षेत्रों का प्रावधान 1.21 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या के मानक से किया गया है। खुले क्षेत्रों के लिये भूमि प्रस्तावित

45.

करते समय वर्तमान नालों, छूले स्थलों, निचले क्षेत्रों, जलाशयों एवं उद्यानों का व्यवहारिक उपयोग किया गया है जिससे इनकी स्थिति व वितरण संतुलित एवं क्रियात्मक होगी और जन-समूह लाभान्वित हो सकेगा। नगर के पूर्व स्थित लक्ष्मीताल एवं नारायण बाग के समीप के आसपास की भूमि पर 198.38 हेक्टेयर § 490 एकड़ § के क्षेत्र को नगर पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव महायोजना में किया गया है। लक्ष्मीताल को छ्टायुक्त झील के रूप में विकसित करके इसे पिकनिक स्थल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।

महायोजना में 253.44 हेक्टेयर § 626 एकड़ § क्षेत्र में प्रकांडीय पार्क को विभिन्न नियोजन प्रकांडों में स्थित हैं, प्रस्तावित किये गये हैं। ये विभिन्न नियोजन प्रकांडों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त होंगे। नगर की दीवार से धारे क्षेत्र एवं सिविल लाइन्स में 53.01 हेक्टेयर का क्षेत्र, क्रीड़ा स्थलों एवं पार्कों को विकसित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर 208.10 हेक्टेयर § 514 एकड़ § का एक क्षेत्रीय पार्क पहुंच बांधा के पास

एव बिजौली क्षेत्र में प्रस्तावित चार चिकित्सालयों में से किसी भी स्था. पर चिकित्सालय का विकास नहीं हुआ है बल्कि रूँद पंचमहल में प्रस्तावित चिकित्सालय के कुछ हिस्से पर (2.44 हेक्टेयर) आवासीय विकास हो चुका है। शेष भूमि रिक्त है।

नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित जिला चिकित्सालय, आयुर्वेदिक कालेज,, क्रिश्चियन हास्पिटल एवं सन्त ज्यूड चिकित्सालय का क्षेत्रफल 21.45 हेक्टेयर है।

### 5.3 धार्मिक स्थल

धार्मिक स्थलों के अन्तर्गत प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 43.32 हेक्टेयर है जिसमें ज्यादातर क्षेत्र पहले से ही आच्छादित है लेकिन इस भू-उपयोग के विपरीत 3.07 हेक्टेयर में आवासीय विकास हो चुका है तथा खाली क्षेत्र नगण्य है।

### 5.4 जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति

जलापूर्ति हेतु प्रस्तावित 1.21 हेक्टेयर क्षेत्र के अतिरिक्त कई स्थानों पर जलापूर्ति सम्बन्धी विकास हो चुका है। इसारी विद्युत केन्द्र हेतु 3.64 हेक्टेयर का विकास भी हो चुका है इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थानों पर विद्युत केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रशासन द्वारा विद्युत विभाग को स्थलों का आवंटन किया जा चुका है।

### 5.5 पार्क एवं क्रीडा स्थल, खुले क्षेत्र एवं मनोरंजन सुविधाएं

#### 5.5.1 लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क

नगर के पूर्व में स्थित लक्ष्मीताल के निकट स्थित नारायण बाग एवं समीप की आसपास की भूमि पर 198.38 हेक्टेयर क्षेत्र को नगर पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव था। नारायण बाग का स्थल सुरक्षित है एवं विकास कार्य प्रगति पर है लेकिन इसके समीप आरक्षित नगर पार्क की भूमि पर 12.4 हेक्टेयर में प्रतिकूल आवासीय विकास हो चुका है। वहां दिन प्रतिदिन अनधिकृत निर्माण का कार्य प्रगति पर है फिर भी वर्तमान में बहुत बड़ा क्षेत्र नगर पार्क हेतु उपलब्ध है जिसको सुरक्षित करना पर्यावरण एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।

253.44 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर प्रखण्डीय पार्कों का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन कहीं पर भी पार्कों का विकास नहीं हुआ है बल्कि लगभग 25.0 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रतिकूल विकास हुआ है शेष भूमि खाली पड़ी है इसके अतिरिक्त दीवार से घिरे क्षेत्र एवं सिविल लाइन में 53.01 हेक्टेयर का क्षेत्र क्रीडा स्थलों एवं पार्कों के विकास हेतु प्रस्तावित किया गया था जिसमें किले के पास रानी लक्ष्मीबाई पार्क, सीपरी क्षेत्र में नेहरू पार्क, कारगिल पार्क का विकास हो चुका है तथा स्टेडियम बन चुका है, प्रदर्शनी मैदान के क्षेत्र के कुछ हिस्से पर वीरांगना होटल का प्रतिकूल विकास हुआ है।

मार्गों में बड़े एवं छोटे उद्योगों हेतु भूमि प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में झाँसी नगर में औद्योगिक विकास हो सके।

### 5.1. नीति निर्धारण

1. झाँसी नगर बुन्देलखण्ड मण्डल का मुख्यालय होने के पश्चात भी औद्योगिक विकास की गति की दृष्टि से नगण्य रही और बहुत सी औद्योगिक इकाइयां बन्द हो गयीं।
2. झाँसी महायोजना 2021 में पुनः औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किये जाने हेतु पर्याप्त भूमि झाँसी-ललितपुर मार्ग पर प्रस्तावित करने की आवश्यकता है।
3. झाँसी-ग्वालियर मार्ग पर बृहद उद्योग के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में भूमि प्रस्तावित करना उचित होगा।

### 2.10.6 पार्क एवं खुले स्थल

1. झाँसी महायोजना 2001 में लक्ष्मीताल के निकट स्थित नारायणबाग एवं आस-पास के खुले क्षेत्र को भी नगरीय पार्क के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था परन्तु सब्जी मण्डी से लक्ष्मी दरवाजा जाने वाले मार्ग के उक्त भाग में अनधिकृत रूप से निर्माण हो गया है परन्तु अधिकतम क्षेत्र अभी भी खुला पड़ा है। अतः झाँसी महायोजना वर्ष 2021 में पार्क तथा खुले क्षेत्र तथा प्रस्तावित कृषि इस्तिफाईटका के सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति निर्धारण करने की आवश्यकता है।

### 6.1 नीति निर्धारण

1. मिश्रित क्षेत्र के अन्तर्गत पानी वाली धर्मशाला, दीक्षित बाग, नारायण बाग, लक्ष्मीताल के समीपवर्ती खुले क्षेत्र तथा प्रदर्शनी मैदान को यथावत संरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है। साथ-साथ लक्ष्मीताल के निकट खाली क्षेत्र को सिटी पार्क के रूप में पूर्व की भाँति यथावत महायोजना 2021 में प्रस्तावित किया जाय।
2. विभिन्न नियोजन खण्डों एवं सेक्टर स्तर में प्रस्तावित किये जाने वाले ग्रीन बेल्ट, पार्क एवं खुले स्थल, क्रीडा स्थल, डिस्ट्रिक्ट पार्क, क्षेत्रीय पार्क इस प्रकार संशोधित कर आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किये जाये जिसके अन्तर्गत प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल झाँसी महायोजना 2001 के प्रस्तावित क्षेत्रफल से कम न हो।
3. नगर की भावी जनसंख्या हेतु वर्ष 2021 तक आवश्यकता को देखते हुये नगर के बाह्य क्षेत्र में पहुँज नदी के किनारे एवं निचली भूमि को पूर्व की भाँति महायोजना 2021 में भी क्षेत्रीय पार्क प्रस्तावित किया जाये जो नगर के वातावरण को प्रदूषण की दृष्टि से अधिक सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध हो।









